न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 245/2024

अनवान : –

1. संजय कुमार पुत्र सीताराम जाति नायक जसाना हाल किंकरालीया तहसील रावतसर।
2. छीपाराम पुत्र सीताराम उम्र 15 साल नाबालिग जरिये संरक्षिका माता उदमा पत्नी सीताराम जाति नायक जसाना हाल किंकरालिया तहसील रावतसर।

– सायलान

बनाम्

1. सीताराम पुत्र तारूराम जाति नायक निवासी किंकरालीया तहसील रावतसर।
2. सहीराम पुत्र तारूराम जाति नायक निवासी किंकरालीया तहसील रावतसर।
3. लालचन्द पुत्र तारूराम जाति नायक निवासी किंकरालीया तहसील रावतसर।
4. भालाराम पुत्र तारूराम जाति नायक निवासी किंकरालीया तहसील रावतसर।
5. बृजलाल पुत्र तारूराम जाति नायक निवासी किंकरालीया तहसील रावतसर।
6. पृथ्वीराम पुत्र तारूराम जाति नायक निवासी किंकरालीया तहसील रावतसर।
7. सावित्री पुत्री तारूराम जाति नायक निवासी किंकरालीया तहसील रावतसर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
9. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **सायलान**
2. श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **गैरसायल स0 3**
3. श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **गैरसायल स0 5, 6**

निर्णय दिनांकः- 30/12/2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है की सायलान ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी 1956 की धारा 212 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 20 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 50/52 की कुल 2.5930 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि सायलान के दादा तारूराम के नाम दर्ज है।

सायलान के दादा तारूराम का देहान्त हो चुका है एवं उनकी फौतदगी के बाद उक्त भूम पर उनके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 प्रत्येक के नाम 1/22 हिस्सा भूमि दर्ज हुई है। गैरसायलान एवं दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 13 प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान है तथा गैरसायलान स0 1 ने दिनांक 20.06.2022 को गवाहन के रोबरू शपथ पत्र बाबत राजीनामा दिया की मिकर के पिता की सम्पति जमीन, जायदाद, घर, प्लॉट में में मेरा जितना भी हक हिस्सा होगा उसमें मेरे पुत्र संजय, दीपाराम व मेरी पुत्री सरूपी का बहिब हक हिस्सा होगा तथा रोबरू गवाहान शपथ पत्र दिनांक 26.02.2020 को नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवा दिया।

सायलान को उसके हक हिस्सा से महरूम करने के लिए गैरसायल स0 1 ने गैरसायल स0 2 ता 11 के साथ साजबाज कर अपने हक व हिस्सा यानि की 1/22 हिस्सा की दस्तबरदारी दिनांक 18.09.2024 को प्रतिवादी [illegible] ता 8 व 9 के पक्ष में तहरीर व तस्दीक करवा दी जबकि गैरसायल स0 1 ने सायलान के पक्ष में शपथ पत्र तहरीर करवाया था फिर भी साज बाज कर अपना हक हिस्सा गैरसायलान के [illegible] में त्याग कर दिया जो की विधि के विरूद्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:39:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

है। सायलान अपने हक व हिस्से तक दस्तबरदारी को शुन्य व निष्प्रभावी घोषित करवा पाने का अधिकारी है। वाद भूमि गैरसायलान संख्या 2 ता 6 व 9 के नाम दर्ज होने के कारण गैरसायलान उक्त भूमि को रहन, बैय करना चाहते है जिससे सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिए गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की उक्त वाद भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मोजा चक 20 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 50/52 की कुल 2.5930 हैक्ट भूमि की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई कि अप्रार्थीगण उक्त भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थीगण संख्या 3 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की उक्त शपथ पत्र भय दिखाकर लिखवाया गया है। शपथ पत्र पर हस्ताक्षर से कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नही होते है। दस्बरदारी दिनांक 18.09.2024 रजिस्टर्ड दस्तावेज है जिसे सुनने का अधिकार सिविल न्यायालय का है। सायलान व गैरसायलान सं0 1 के नाम वर्तमान में भूमि दर्ज ही नही है। गैरसायल संख्या 2 ता 6 व 9 रिकार्डेड खातेदार है एवं रिकार्डेड खातेदार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नही है। इसलिए गैरसायलान के खिलाफ जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमावे। अप्रार्थी संख्या 5 ता 6 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना इस इस आशय का पेश किया की अप्रार्थीगण के नाम उक्त भूमि का नामान्तरण दस्तबरदारी के जरिये दर्ज हुआ है। गैरसायलान को तंग व परेशान करने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जिसमें सायलान का कोई हक व हिस्सा नही है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की सायलान के दादा तारूराम का देहान्त हो चुका है एवं उनकी फौतदगी के बाद उक्त भूम पर उनके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 प्रत्येक के नाम 1/22 हिस्सा भूमि दर्ज हुई है। गैरसायलान एवं दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 13 प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान है तथा गैरसायलान स0 1 ने दिनांक 20.06.2022 को गवाहन के रोबरू शपथ पत्र बाबत राजीनामा दिया की मिकर के पिता की सम्पति जमीन, जायदाद, घर, प्लॉट में में मेरा जितना भी हक हिस्सा होगा उसमें मेरे पुत्र संजय, दीपाराम व मेरी पुत्री सरूपी का बहिब हक हिस्सा होगा तथा रोबरू गवाहान शपथ पत्र दिनांक 26.02.2020 को नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवा दिया। सायलान को उसके हक हिस्सा से महरूम करने के लिए गैरसायल स0 1 ने गैरसायल स0 2 ता 11 के साथ साजबाज कर अपने हक व हिस्सा यानि की 1/22 हिस्सा की दस्तबरदारी दिनांक 18.09.2024 को प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 व 9 के पक्ष में तहरीर व तस्दीक करवा दी जबकि गैरसायल स0 1 ने सायलान के पक्ष में शपथ पत्र तहरीर करवाया था फिर भी साज बाज कर अपना हक हिस्सा गैरसायलान के पक्ष में त्याग कर दिया जो की विधि के विरूद्ध है। सायलान अपने हक व हिस्से तक दस्तबरदारी को शुन्य व निष्प्रभावी घोषित करवा पाने का अधिकारी है। वाद भूमि गैरसायलान संख्या 2 ता 6 व 9 के नाम दर्ज होने के कारण गैरसायलान उक्त भूमि को रहन, बैय करना चाहते है जिससे सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:39:31 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 3 व 5 ता 6 ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया की उक्त शपथ पत्र भय दिखाकर लिखवाया गया है। शपथ पत्र पर

al
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हस्ताक्षर से कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नही होते है। दस्बरदारी दिनांक 18.09.2024 रजिस्टर्ड दस्तावेज है जिसे सुनने का अधिकार सिविल न्यायालय का है। सायलान व गैरसायलान सं0 1 के नाम वर्तमान में भूमि दर्ज ही नही है। गैरसायल संख्या 2 ता 6 व 9 रिकार्डेड खातेदार है एवं रिकार्डेड खातेदार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नही है। इसलिए गैरसायलान के खिलाफ जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मोजा चक 20 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 50/52 की कुल 2.5930 हैक्ट भूमि में से 1/22 हिस्सा भूमि अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत चित्रप्रति दस्तबरदारी दिनांक 18.09.2024 के अनुसार उक्त भूमि की अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दस्तबरदारी की जा चुकी है। दस्तबरदारी एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है। दस्तबरदारी दिनांक 18.09.2024 आज दिनांक तक वैध है। उक्त दस्तबरदारी के खंडन में अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है। अतः प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थीगण के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थीगण को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 04.10.2024 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 30/12/2024 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:39:31 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर